

आदेश-पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

तारीख..... तक

आदेश पत्रक

जिला:- पटना सन्

केश का प्रकार दा० खा० याद सं० 367 सन् 1917-17

आदेश की सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित।												
26-09-17	<p>श्रीमती लक्ष्मी देवी</p> <p>पत्नी श्री केशव प्रसाद ग्राम ईश्वरपुर पो० पारसी</p> <p>थाना..... जिला..... केवाला नं० 2726 दिनांक 13-03-17</p> <p>के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल-खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table border="1" data-bbox="284 940 1356 1075"> <thead> <tr> <th>मीजा</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा</th> <th>एराजी</th> <th>लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अहुरी</td> <td>51</td> <td>173</td> <td>622</td> <td>0-0-10 64 5/8</td> <td>1-00</td> </tr> </tbody> </table> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दे, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक को रखें। लेखापित एवं संशोधित।</p>	मीजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान	अहुरी	51	173	622	0-0-10 64 5/8	1-00	<p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> <p align="right">अंचल अधिकारी दानापुर</p>
मीजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान									
अहुरी	51	173	622	0-0-10 64 5/8	1-00									
06-05-17	<p>नोटिस का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने आवेदक के नाम दाखिल-खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल-खारिज की जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें। लेखापित एवं संशोधित।</p>	<p align="right">अंचल अधिकारी दानापुर</p>												

Cov 1312
2/6/17

अंचल अधिकारी दानापुर

अंचल अधिकारी दानापुर